



2026:AHC-LKO:42181-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट-सी संख्या - 4846 वर्ष 2026

रामलाल

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग

विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: अरुण प्रकाश शुक्ला, शिवेंद्र सिंह, श्वेता शुक्ला
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पवन अवस्थी, सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

माननीय न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 4 के लिए विद्वान राज्य अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस० एम० हैदर रिज़वी की ओर से पक्षपत्र धारक अधिवक्ता श्री मोहम्मद हसन और विरोधी पक्षकार संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन अवस्थी की ओर से पक्षपत्र धारक अधिवक्ता सुश्री सुनंदा कृष्णा को सुना।

2. याचिका राज्य-प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के गन्ने के मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने की मांग करते हुए दाखिल की गई है, जिसने पेराई सत्र 2025-2026 के लिए बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल (विरोधी पक्षकार संख्या 6) को गन्ने की आपूर्ति की है।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त शिकायत का इस न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पहले ही निराकरण किया जा चुका है जिसमें रिट-सी संख्या 4341 वर्ष 2026 (गुरुदेव सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में हाल ही में निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. विरोधी पक्षकार संख्या 6 द्वारा आज दाखिल अनुपूरक संक्षिप्त प्रति शपथपत्र और याचिकाकर्ता द्वारा उसके प्रत्युत्तर में दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र अभिलेख पर लिए गये ।
2. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री अमन कुमार श्रीवास्तव, श्री अंकित शुक्ला तथा श्री दिव्यांशु त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 6- बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड की ओर से उपस्थित श्री सुनील कुमार चौधरी, श्री पावन अवस्थी तथा श्री संजीव कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता की सहायता से श्री

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एस० सी० मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्य-विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित सुश्री दीपशिखा, विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा श्री पंकज खरे, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 5 की ओर से उपस्थित श्री एस० एम० हैदर रिज़वी, विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. वर्तमान रिट याचिकाओं को एक साथ लिया जा रहा है क्योंकि ये समान मुद्दों से संबंधित हैं जो विरोधी पक्षकार संख्या 6- बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड को गन्ने की आपूर्ति करने वाले गन्ना उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में हैं।

4. पूर्व में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं, जिनमें विरोधी पक्षकार संख्या 6 को निर्धारित समयावधि के भीतर गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। हमें अवगत कराया गया है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा गन्ने के बकाया भुगतान से संबंधित समान मामले भी इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थे और उक्त पीठ ने 28 अप्रैल 2026 को याचिकाओं के एक समूह के संबंध में संयुक्त आदेश पारित किया।

5. बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड की ओर से उपस्थित श्री एस० सी० मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समकक्ष पीठ ने एम/बी संख्या 11355 वर्ष 2021 (शैलेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय पर विचार करने के पश्चात एक आदेश पारित किया है जिसे अनुपूरक संक्षिप्त प्रति शपथपत्र के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है। उन्होंने प्रस्तुत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया कि शैलेंद्र सिंह (उपरोक्त) में निर्णय का समकक्ष पीठ द्वारा अपने 28 अप्रैल 2026 के आदेश में अनुसरण किया गया है।

6. हमने उक्त आदेश का अवलोकन किया और 28 अप्रैल 2026 को पारित उक्त आदेश के साथ हमारी सहमति है जो आज न्यायालय में पारित आदेश का भाग हो सकता है और आवश्यक निहितार्थों द्वारा वर्तमान आदेश में सम्मिलित माना जाए। उक्त आदेश के प्रासंगिक प्रस्तरों को निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

“9. मामले के उपरोक्त पहलू पर विचार करते हुए हमें अवगत कराया गया है कि एक एस्क्रो खाता पहले ही खोला जा चुका है जहां चीनी की बिक्री का 85% जमा किया जाता है और विरोधी पक्षकार संख्या 6 उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है और जब-जब राशि एस्करो खाते में जमा होती है तब प्रथम आपूर्ति प्रथम भुगतान के आधार पर राशि गन्ना उत्पादकों को वितरित हो जाती है।

10. यह भी अवगत कराया गया है कि याचिकाकर्ताओं के संबंध में 27.4.2026 तक 50% राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है और विरोधी पक्षकार संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता यह सुनिश्चित करते हैं कि शेष राशि का भी इस न्यायालय द्वारा शैलेंद्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार शीघ्रता से भुगतान किया जाएगा।

11. उपरोक्त पहलू पर विचार करते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 50% राशि का पहले ही संवितरण किया जा चुका है और शेष राशि का भी इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संवितरण किया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाएगा कोई और निर्देश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि गन्ना आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि शैलेंद्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का विरोधी पक्षकार संख्या 6 द्वारा अक्षरशः अनुपालन किया जाए और जैसे ही धनराशि एस्क्रो खाते में जमा हो उक्त धनराशि का गन्ना उत्पादकों को प्रथम आपूर्ति प्रथम भुगतान के सिद्धांतों पर तत्काल संवितरण किया जाए।

12. हम इस तथ्य का भी संज्ञान लेते हैं कि यदि व्यक्तिगत मामलों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और विशिष्ट गन्ना उत्पादकों को भुगतान किए जाने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं तो यह प्रथम आपूर्ति प्रथम भुगतान की शर्त का उल्लंघन कर सकता है और तदनुसार गन्ने के बकाया की न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने का दायित्व विरोधी पक्षकार संख्या 6 अर्थात् चीनी मिल पर है कि वह इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को अक्षरशः अपनाए।”

7. यद्यपि इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के विस्तृत निर्देशों के दृष्टिगत इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी और प्रथम दृष्टया ये याचिकाएं अन्य गन्ना उत्पादकों के अधिकारों के प्रतिकूल भी प्रतीत होती हैं जिन्होंने इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है और जो शैलेंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में अंतर्निहित योजना के अनुसार अपने-अपने भुगतान के लिए कतार में अपनी बारी की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि एस्करो खाते में प्राप्त होने वाले भुगतान समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और पिछले वर्ष अर्थात् 2024-25 के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भुगतानों के लिए उनके द्वारा कई शिकायतें दाखिल की गई हैं इस पहलू पर भी विचार किया जा सकता है। इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि वर्तमान पेराई वर्ष के लिए इसी प्रकृति की कोई शिकायत दाखिल नहीं की गई है और यहां तक कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान वर्ष के संबंध में ऐसी कोई शिकायत, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि दाखिल नहीं की गई है। अतः उस संबंध में इस न्यायालय से किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

8. जहां तक राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का संबंध है श्री पंकज खरे ने 20 अप्रैल 2026 के एक पत्र को अभिलेख पर लाया है जो गन्ना आयुक्त उ०प्र० की ओर से बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड से लंबित भुगतानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए जारी किया गया है। बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उक्त पत्र का उत्तर कंपनी द्वारा गन्ना आयुक्त उ० प्र० के समक्ष पहले ही दाखिल किया जा चुका है और वे प्राधिकारी के समक्ष उक्त मामले का तत्परता से अनुपालन कर रहे हैं।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि भुगतान उपरोक्त पूर्ववर्ती प्रस्तरों में इंगित किए गए अनुसार तथा समान मामलों में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 28 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार कड़ाई से किया जाना चाहिए।

10. इसके अतिरिक्त हम गन्ना आयुक्त को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करते हैं कि चीनी की बिक्री पर 85% राशि तत्काल एस्करो खाते में जमा की जाए और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तत्पश्चात उक्त राशि का गन्ना किसानों को शैलेंद्र कुमार (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्णीत 'प्रथम आपूर्ति, प्रथम भुगतान' के आधार पर संवितरण किया जाए। ऐसी स्थिति में यदि चीनी की बिक्री की राशि से एस्करो खाते में जमा किए जाने में कोई विलंब होता है तो गन्ना आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए विधि के अनुसार कदम उठाने चाहिए कि गन्ना किसानों को भुगतान में विलंब न हो।

11. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उपरोक्त दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता विधि के अनुसार अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उचित प्राधिकारी/न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

12. तदनुसार उपरोक्त निर्देशों के साथ रिट याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है।

4. इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके विस्तृत निर्देशों के दृष्टिगत याचिकाकर्ता भी रिट-सी संख्या 4341 वर्ष 2026 में पारित उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.05.2026 से आच्छादित होगा और उसे लाभ प्रदान किया जाएगा।

5. अतः याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद) (न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

29 जून, 2026

शाहनाज़

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।